भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 891

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

सीतापुर से लखनऊ रोड पर टोल वसूली

891. श्री राकेश राठौर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर से लखनऊ तक सड़क पर स्थापित दो टोल प्लाजा पर लगभग 20 वर्षों से लगातार टोल वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इन टोल प्लाजा पर कब तक टोल वसूली जारी रहने की संभावना है और उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की कमी, सभी गेटों के चालू न होने और नियुक्त कर्मचारियों के अप्रशिक्षित एवं अनुचित व्यवहार के कारण अक्सर होने वाले विवादों के कारण बार-बार लगने वाले यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन टोल प्लाजा की व्यापक समीक्षा करने, नियमित निरीक्षण, शिकायत निवारण और स्थानीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधान के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जाएगा, और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तिथि पर एकत्र किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तथा इसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।।

सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास, जैसा भी मामला हो, के ऐसे खंड के लिए उद्ग्रहणीय शुल्क इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जाना जारी रहेगा।

वर्तमान में, सीतापुर से लखनऊ तक दोनों शुल्क प्लाजा रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और शुल्क संग्रहण दिनांक 18.10.2011 को शुरू किया गया था। इन प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क रियायत अवधि के अंत तक, अर्थात 20.06.2026 तक, रियायतग्राही द्वारा एकत्र किया जाता रहेगा और उसके बाद इन शुल्क प्लाजा को सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और फिर सरकार की ओर से प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाएगा और भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाएगा।

(ग) से (घ) ये शुल्क प्लाजा ठीक से कार्य कर रहे हैं और सुचारू और निर्बाध यातायात आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में टोल स्टॉफ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को विवादों को कम करने और प्रयोक्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के व्यवहार, बोलचाल का तरीका और पेशेवर आचरण पर शुल्क प्लाजा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया है।

*****